क्रम संख्या–98

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 18 सितम्बर, 2025 ई0

भाद्रपद 27, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 615/2025/01(120)/XXVII(8)/2025-TC, CTR-17

देहरादून, 18 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा परिषद की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 531/2017/9(120)/XXVII(8)/ 2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, खंड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(v) स्थानीय डिलीवरी देने के रूप में सेवाएं सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के तहत पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है ।"

2. यह अधिसूचना 22 सितम्बर, 2025 से लागू होगी ।

आज्ञा से,

डॉ0 अहमद इकबाल,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. **615/2025/01(120)/XXVII(8)/2025-TC, CTR-17,** dated September 18, 2025 for general information:

No. 615/2025/01(120)/XXVII(8)/2025-TC, CTR-17
Dated Dehradun, September 18, 2025

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 531/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated the 29th June, 2017 , namely:-

In the said notification, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely: -

"(v) services by way of local delivery except where the person supplying such services through electronic commerce operator is liable for registration under sub section (1) of section 22 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017".

2. This notification shall come into force with effect from the 22nd day of September 2025.

By Order,

Dr. AHMED IQBAL,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 55 वित्त/405–2025–100+100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।